



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229 |
No. 229 |

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2006/फाल्गुन 23, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2006/PHALGUNA 23, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2006

का.आ. 317(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 मार्च, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[सं. VI-24021/14/2005-पीएम-I]

हरमिंदर राज सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2006.

S.O. 317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act 29 of 2005), the Central Government hereby appoints the 15th day of March 2006, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. VI-24021/14/2005-PM-I]

HARMINDER RAJ SINGH, Jr. Secy.